घरेलू बागवानी, फल-वृक्षों का रोपण, फलों के उत्पाद एकक, फल-संसाधन एकक, पकवान निर्माण एकक, आहार-प्रबंधन, बेकरी निर्माण एकक, धान की पिसाई का एकक आदि भी स्वयं सहायक संघों द्वारा स्थापित व्यावसायिक उद्यम हैं।

संपदा साध्यताओं और अवसरों के आधार पर स्वयं सहायक संघों द्वारा स्थापित किए जाने के अन्य लघु उद्यम ये हैं: औषध सस्य पालन, घरेलू वनस्पति पालन, खुम्भी पालन, घरेलू पशु पालन, मुर्गी पालन, सब्जी (रसम, साम्बार आदि) पाउडर, अचार पाउडर, चावल का पाउडर, मसाला, सूखा आम, सूखी मिर्ची, पापड, टमाटर सोस, सिरप, मिश्रित फल जाम, टमाटर स्क्वाश, द्राक्षा वाइन, अनार वाइन, अदरक वाइन, आंवला वाइन, नारियल विनीगर, कृत्रिम विनीगर, शर्बत, मुंगफली मिठाई, दूध चोकलेट, कागज़ के कवर निर्माण, नोट बुक निर्माण, रबड़ चप्पल, कुशन, अगर बत्ती, यूकालिप्टस तेल, सफाई पाउडर, फिनोइल लोशन, लिक्विड साबुन, टोइलेट साबुन, सफाई साबुन, हैन्ड शाम्पू, साबुन शाम्पू, डिटरजेन्ट शाम्पू, समाज सेवा, शादी ब्यूरो, उपभोक्ता सेवा केंद्र, ट्यूशन, काउन्सिलिंग- मार्गदर्शन, साहित्य सेवा आदि । ये केरल में सब कहीं चलाए जाने वाले लाभदायक उद्यम हैं।

ऍसे स्वयं सहायक संघों को उपर्युक्त रोज़गार लागू करने के लिए वित्तीय सहायता देने वाले प्रमुख संस्थाएं हैं - खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, औद्योगिक वाणिज्यिक विभाग, जवहर रोज़गार योजना, महिला उद्योग सहकारी संघ, केरल राज्य समाज कल्याण परामर्श बोर्ड, केरल वित्तीय निगम, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, केरल राज्य महिला विकास निगम, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, अन्य स्वैच्छिक संघ, कुटुम्ब श्री आदि।

स्वयं सहायक सघों द्वारा तटीय क्षेत्रों का विकास करने पर होने वाले परिणामों का अवलोकन करने पर कुछ महत्वपूर्ण बातें व्यक्त हो जाएंगी:

- सशक्त हुए स्वयं सहायक संघ अपनी कमाई के अतिरिक्त बैंक से उधार लेकर संघ के सदस्यों की सहायता देकर लघु बजत उधार योजनाएं लागू करने के साथ-साथ रोज़गार के उद्यम भी चलाते हैं और स्वावलंबी बनते हैं।
- सप्ताह में एक बार आयोजित बैठकों में संघ के सदस्य अपनी समस्याओं पर चर्चा करके आवश्यक सुझाव और समाधान ढूँढते हैं। इस प्रकार की सामूहिक कार्रवाइयों से उनके मन में सुरक्षा का बोध और टीम की भावना और मानसिक शक्ति भी पैदा होती है।
- परिवार की वित्तीय सुरक्षा में महिलाओं की कमाई एक प्रमुख योगदान है। परिवार के कल्याण में पुरुषों के साथ हाथ जोडने का आत्मविश्वास स्वयं सहायक संघ द्वारा उनमें बढ़ जाता है।
- सप्ताह में आयोजित बैठकों में उसी आंचल के उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी होती है और उपभोक्ताओं का चयन करने के लिए यह सहायक होता है।

स्वयं सहायक संघः सहकारिता का प्रतीक

- उपभोक्ता को दी जाने वाली सुविधाएं निश्चित योजना के लिए प्रयुक्त करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं।
- स्वयं सहायक संघों द्वारा मछुआरों के बीच की सामूहिक भावना बढ़ गई है। राहत निधि के लिए महिलाओं द्वारा दिए जानेवाले बडे योगदान इसके उदाहरण हैं।
- जाति- धर्म के बोध के बिना जन नेताओं की सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन, कला और खेलकूद की प्रतियोगिताएं, साक्षरता के क्लास के आयोजन आदि स्वयं सहायक संघों की सामूहिक प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं।
- स्वयं सहायक संघ, जो सहकारिता के प्रतीक हैं घर के आंगन के बैंक और समस्याओं में सहायता देने वाले मित्र और उधार के ब्याज से रक्षा देनेवाले के रूप में काम कर सकते हैं।

इसी प्रकार सुदृढ़ नियम-संहिता के मान के अनुपालन से रूपाइत स्वयं सहायक संघों के लघु निक्षेप के आधार पर बैंकों से मिलने वाले उधार को सही रूप से उपयुक्त करके संघ के सदस्यों को सहायता देने के लिए इस प्रकार के संघ महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

तटीय मेखला की सार्वजनिक समस्याएं हैं निरक्षरता, पीने के पानी की अलभ्यता, स्वास्थ्य हीनता, मकान आदि। स्वयं सहायक संघों की सहकारिता और अर्पण भाव से इन समस्याओं का समाधान सुलझाकर और गाँवों में वित्तीय सुरक्षा बनवाकर समाज में समृद्धि लायी जा सकती है, इसमें सन्देह नहीं है।

तैयारी : डॉ. विपिन कुमार वी.पी, वैज्ञानिक, सी एम एफ आर आइ

प्रकाशन : प्रोफसर (डॉ.) मोहन जोसफ मोडयिल, निदेशक

संपादन : डॉ. विपिन कुमार वी.पी., वैज्ञानिक
डॉ. आर. सत्यदास, प्रधान वैज्ञानिक
समाज-आर्थिक मूल्यांकन एवं प्रौद्योगिकी स्थानांतरण प्रभाग

चित्र : श्री. के. एम. डेविड

प्रौद्योगिकी सूचना अंकावली - 4
कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र

मात्स्यिकी क्षेत्र के स्वयं सहायक संघ

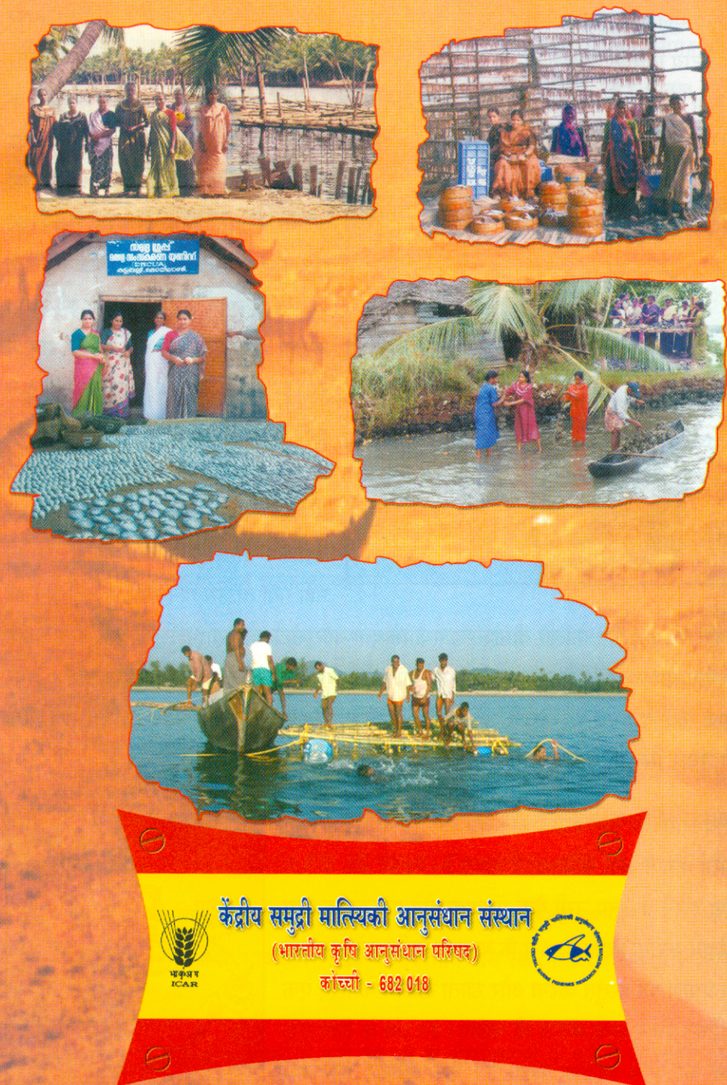

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी आनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि आनुसंधान परिषद)
कोच्ची - 682 018

मात्स्यिकी क्षेत्र के स्वयं सहायक संघ

गरीबी का मुख्य कारण अभाव नहीं बल्कि संपदाओं को ठीक तरह बांटने की विमुखता और अवसरों का सही रूप से लाभ उठाकर उपयुक्त करने की अशक्तता और असमर्थता है।

विकास शब्द का मतलब समाज के सब से निम्नतम स्तर के गरीब लोगों का उन्नयन और कल्याण है। विस्तृत रूप से भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र का विकास साध्य बनाकर सुगम ढंग से लोगों के बीच लागू कराने और अमल में लाने वाले तरीका है स्वयं सहायक संघ। तटीय मेखला के विकास केलिए मूल भूत भूमिका निभाने में इन स्वयं सहायक संघों का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार की तटीय विकास योजनाओं को अमल में लाने और सफल बनाने के लिए मछुआरों विशेषकर मछुआ महिलाओं की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। इसी तरह स्थानीय स्वायत्त संगठनों के नेतृत्व में पूरे मात्स्यिकी क्षेत्र में गरीबी हटाने के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं के अंदर स्वयं सहायक संघों द्वारा सभी मछुआरों को सशक्त बनाकर उनके बीच रही गरीबी को पूरी तरह हटाना चाहिए। यह सफल होने के लिए उनमें बचत और लघु निक्षेप की आदत बनाना आवश्यक है। मात्स्यिकी क्षेत्र में लगे हुए लोगों के बीच बचत की आदत न होने की वजह से सामान्य तौर पर निम्न स्तरीय मछुआरे लोग पूरी कमाई का खर्च करते हैं और कल के लिए कुछ भी बचाते नहीं हैं। अगर एक दिन मछली पकडने नहीं गया तो उस दिन रोटी भी नहीं होने की स्थिति है। कुछ दिन केलिए बीमार पड गया तो दवा और रोटी की पैसा के लिए उधार लेना पडता है। एक बार उधार में फँस गया तो कमाई का अधिक भाग ब्याज के रूप में देना पडता है। अगर ब्याज नहीं दिया तो वह बढ़कर उधार ऐसा ही पडेगा। सरकारी वित्तीय संस्थाओं से गरीब लोगों को उधार मिलना मुशकिल की बात है।

गरीब लोगों को पैसा बचाने की इच्छा होने पर भी इस के लिए रास्ता कम है और कठिनाइयाँ ज़्यादा है। किसी बैंक में पैसा जमा करने के लिए उसी बैंक में खाता होनेवाले व्यक्ति द्वारा परिचय कराना पडता है। इस के बावजूद व्यक्ति को पहचानने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना और खाता खोलने के लिए एक निश्चित रकम जमा करना भी चाहिए। इन सब के लिए एक दिन का काम छोडना पडता है। ऐसे अवसर पर स्वयं

सहायक संघों की लघु निक्षेप योजना (थ्रिफ्ट) महत्वपूर्ण होती है।

बचत या सेविंग्स और लघु निक्षेप योजना या थ्रिफ्ट में अंतर होता है। कमाई से खर्च के बाद बाकी पडने वाले पैसे को बचत कहते हैं। लेकिन छोटे रकम कमाने वालों को कमाई से ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए उनका बचत भी बहुत कम होगा। वास्तव में लघु निक्षेप योजना विविध कार्यों के लिए खर्च किए जाने का एक छोटा रकम है, फिलहाल यह बचत नहीं है बल्कि खर्च से आत्म नियंत्रण से बचाने वाला रकम है जैसा कि पुराने जमाने में महिलाएं पकाने के लिए चावल लेते वक्त एक मुट्ठी भर धान संभलकर रखती थी और कमी के समय इसका इस्तेमाल करती थी, लघु निक्षेप योजना (थ्रिफ्ट) के पीछे का तत्व भी इस से भिन्न नहीं है।

कुछ मछुआरा महिलाएं इकट्ठा होकर एक संघ बना सकती हैं। सप्ताह में एक बार ये साथ मिलकर एक निश्चित रकम का संग्रहण करके संयुक्त खाते के रूप में बैंक में जामा करना है। बाद में यह छोटा निक्षेप बढ़कर बडा रकम बन जाता है। उदाहरण के लिए 25 सदस्यों के एक स्वयं सहायक संघ द्वारा हफ्ते में प्रति व्यक्ति के लिए 10 रु संग्रहित करने पर 250 रुपए का लघु निक्षेप खोला जा सकता है। यह रकम एक महीने में एक हज़ार और छः महीने में छः हज़ार तक बढ़ता है। इस तरह के लघु निक्षेप के संग्रहण से संघ के सदस्यों में लघु निक्षेप की आदत और इस वजह से उनके बीच वित्तीय धारणा भी पैदा होती है।

लघु निक्षेप शुरू करने के छः महीने के बाद सदस्यों को तत्काल ज़रूरी और खर्चों के लिए उधार दे सकते हैं। उधार देने के मान संघ के सदस्य एक साथ तय कर सकते है। सभी सदस्य आपस में परिचित और जान पहचान के लोग होने के कारण जरूरियों को प्राथमिकता देना भी आसान है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय किसी भी सदस्य को दिन-रात या 24 घंटे वित्तीय सहायता देने वाले गैर सरकारी बैंक के रूप में स्वयं सहायक संघ काम कर सकते हैं। उधार की समय सीमा और ब्याज सदस्यों की मर्जी के अनुसार होंगे। इस प्रकार सहयोग से सदस्यों की समस्याओं का समाधान ढूँढ सकते हैं और वित्तीय काम-काज के व्यवहार में उनकी क्षमता बढ़ायी जा सकती है और तद्वारा संघ स्वयं निर्भरता प्राप्त करती है।

संघ के सदस्यों को आय बढ़ाने के लिए अनुयोज्य अवसर ढूँढ़ने और इस के लिए उधार लेने की सुविधा के लिए लघु निक्षेप वाले संघों को नबार्ड, राष्ट्रीय महिलाघोष, बैंक जैसे वितीय संस्थाओं से संपर्क कराया जाता हैं। संघों की कमाई बैंक में जमा करने से यह संपर्क शुरू होता है। संघ की प्रगति और उन्नति बैंक का भी दायित्व बन जाता है, इसलिए संघों की कार्यविधियों, उन्नति, प्रगति आदि बैंकों की सहभागिता से होती है, वित्तीय संस्थाओं से संघों को प्रतिभूति के बिना ही उधार दिया जाता है और यह उधार संघ के सदस्यों के बीच बाँटा जाता है।

कम से कम छः महीने तक थ्रिफ्ट या क्रेडिट संघों के रूप में कार्यरत संघों को शुरू से ही नबार्ड द्वारा लघु निक्षेप के रकम के दुगुना रकम तक उधार दिया जाता है। लघु निक्षेपों की बढ़ती और समय पर वापसी होने पर बाद में ये संघ नौ गुने रकम के उधार के लिए हकदार होते हैं। इसी तरह स्वयं सहायक संघों को नौ गुने तक वित्तीय सहायता देने वाले कई संस्थाएं मौजूद हैं।

अनुभवों और अध्ययनों से यह व्यक्त होता है कि सामान्य तौर पर एक स्वयं सहायक संघ के रूपायन के लिए 36 महीने (3 वर्ष) लगना पडता है। समाज अनुसंधान अध्ययनों से यह सूचना प्राप्त होती है कि उक्त अवधि में 4 महीनों तक संघ का रूपायन, 15 महीनों तक संघ की स्थापना और 36 महीनों तक स्वयं सहायक अवधि जैसे तीन अवस्थाओं में गुज़रने के बाद संघ स्वयं सहायता से निर्भर होता है ।

स्वयं सहायक संघों द्वारा मछुआरों को स्थायी रूप से आय कमाने और स्थानीय तौर पर साध्यताएं होने वाले अवसरों का चयन करके सहयोग के आधार पर उनके परिवारों में होने वाली गरीबी हटाने के लिए पर्याप्त लघु उद्यम या 'माइक्रो एन्टरप्राइसेस' की शुरुआत के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार मात्स्यिकी क्षेत्र में, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के उन्नयन के लिए स्थानीय संपदाओं की साध्यताओं के आधार पर रूपायित और अनुभवों के आधार पर सफलता प्राप्त कुछ लघु उद्यम और भारत के तटीय स्थानों के स्वयं सहायक संघों द्वारा रूपाइत बदल व्यावसायिक उद्यमों का विवरण नीचे दिया जाता है :

तटीय मेखला में गुण वर्द्धित मछली उत्पादों का निर्माण, सूखी मछली उत्पादन एकक, मछली संसाधन एकक, खाने के लिए तैयार मछली उत्पाद, पकाने के लिए तैयार मछली उत्पाद, अलंकार मछली पालन, शंबु पालन, खाद्य शुक्ति पालन आदि ।

मात्स्यिकी के अतिरिक्त लकडी के सामान निर्माण एकक, मकान निर्माण एकक, कपडा निर्माण, गारमेन्ट एकक, कपडा बुनाई, सिलाई, मुर्गी पालन, पशु पालन, सूकर पालन, मधु मक्खी पालन, रेशम कीट पालन एकक, साबुन निर्माण एकक, मोम बत्ती निर्माण एकक, चॉक निमाण एकक, छतरी निर्माण एकक, फॉम बेड निर्माण एकक, बाँस की हस्तकला निर्माण एकक, कम्प्यूटर सेन्टर आदि भी महिला स्वयं सेवा संघ द्वारा शुरू करने लायक व्यावसायिक उद्यम हैं।

कृषि के क्षेत्र में तरकारी कृषि, बगीचा निर्माण, फूलों की कृषि,